संख्याः43 /2016/851 /सीस-1-2016-5(14)/2016

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खाँ,
वशेष स चव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँक 19 दिसम्बर, 2016

वषयः बस स्टेशन भैसाली जनपद मेरठ के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त वषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, मुख्यालय लखनऊ के पत्र संख्या-665बी/डीए०/15, दिनांक 30 सतम्बर, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है क उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा बस स्टेशन भैसाली जनपद मेरठ के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु रू0 494.95 लाख की लागत का आगणन शासन को उपलब्ध कराया गया। उक्त कार्य हेतु ना मत कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश वधायन एवं निर्माण सहकारी संघ ल० लखनऊ (पैकफेड) के पत्र संख्या-5373/क्यू०एफ०/ स वल/टी-408(2), दिनांक 04.10.2016 द्वारा प्रश्नगत लागत पर कार्य करने हेतु अपनी सहमति उपलब्ध करायी गयी है। प्रकरण में वचारोपरान्त वत्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-43 के लेखाशीर्ष-7055-सड़क परिवहन के लए कर्ज 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-03- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को कर्ज-30-निवेश/ऋण में प्रा वधानित धनरा श रू० 50.00 करोड़ में से बस स्टेशन भैसाली जनपद मेरठ के निर्माण हेतु लागत रू0 494.95 लाख के 50 प्रतिशत के समतुल्य रू0 247.00 लाख (रूपये दो करोड़ सैंतालीस लाख मात्र) की धनरा श प्रथम कश्त के रूप में ऋण के रूप में स्वीकृत कये जाने की निम्न शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. ऋण की वापसी व्याज सहित 10 वर्षो की अव ध में की जायेगी।
2. व्याज की दर 15 प्रतिशत वा र्षक होगी तथा निय मत भुगतान कये जाने की दशा में 3.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। इस प्रकार निय मत भुगतान की दशा में व्याज की प्रभावी दर 11.50 प्रतिशत होगी।
3. मूलधन के प्रतिदान की पहली कस्त ऋण आहरण की ति थ से ठीक एक वर्ष बाद देय होगी। मूलधन का प्रतिदान 10 समान वा र्षक कस्तों में कया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. उपर्युक्त ब्याज दर अनन्तिम है। वर्ष 2017-18 के लए अंतिम ब्याज दर के आदेश निर्गत होने पर ब्याज दर स्वत: संशो धत मानी जायेगी।

2- उक्त कार्य के लए आंक लत कुल लागत रू0 494.95 लाख (रूपये चार करोड़ चौरान्बे लाख पच्चानवें हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति तथा वत्त वभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 में निहित निर्देशों के क्रम में श्री राज्यपाल चालू वत्तीय वर्ष 2016-17 में प्रथम कश्त के रूप में 247.00 लाख (रूपये दो करोड़ सैंतालीस लाख मात्र) की धनरा श निम्न ल खत शर्तो के अधीन अवमुक्त कये जाने की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश वधायन एवं निर्माण सहकारी संघ ल० लखनऊ (पैकफेड) को कार्यदायी संस्था ना मत कया जाता है। उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा उक्त कार्यदायी संस्था से निय मत अनुश्रवण करके निर्माण कार्य को गुणवत्तायुक्त तथा समयबद्धता सहित मानक के अनुरूप सुनिश्चित कराया जायेगा ।

(2) उक्त आहरित धनरा श पी0एल0ए0/डपोजिट खाते में जमा नहीं की जाएगी।

(3) परियोजना का अंतिम रूप में अनुमोदित मान चत्र/डजाइन के आधार पर वस्तृत आगणन का गठन करते हुए सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य कराया जायेगा। तकनीकी स्वीकृति की एक प्रमा णत प्रति तदनुसार शासन एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम को भेजी जाय।

(4) परियोजना निर्माण में धनरा श का व्यय वत्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्रा वधानों तथा वत्त वभाग द्वारा समय-समय पर जारी मतव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कया जाय।

(5) निर्माण के समय कार्य की व शष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्दता अवश्य सुनिश्चित कये जाने का दायित्व उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण सहकारी संघ ल० लखनऊ (पैकफेड) का होगा।

(6) परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयाव ध में अवश्य पूर्ण कर लया जायेगा। लेबर सेस की धनरा श इस शर्त के अधीन होगी क श्रम वभाग को उक्त धनरा श का भुगतान कया जायेगा।

(7) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व मान चत्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय वकास प्रा धकरण/सक्षम आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(8) उत्तर प्रदेश वधायन एवं निर्माण सहकारी संघ ल० लखनऊ (पैकफेड) द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनाप त्तयॉ, पुरातत्व वभाग एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) प्रायोजनान्तर्गत जो कार्य प्रस्ता वत कये गये है। इस संबंध में क्रयान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करे। चूं क यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं। निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वत्तीय नियमों के आधार पर कया जाय।

(10) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित कये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा।

(11) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वत्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से कया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय। प्रायोजनान्तर्गत प्रस्ता वत कार्यो की द् वरावृ त्त/पुनरावृ त्त को रोकने की दृष्टि से परिवहन निगम द्वारा यह सुनिश्चित कया जायेगा क प्रश्नगत कार्य पूर्व में कसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान या भ वष्य में कसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित कया जाना प्रस्ता वत है।

(12) प्रश्नगत परियोजनान्तर्गत निर्माण कार्यो को सम्पादित कये जाने हेतु कार्यदायी संस्था एवं उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा माइलस्टोन्स निर्धारित कया जायेगा और निर्धारित माइलस्टोन्स व तदनुसार कार्यो की प्रगति से समय-समय पर शासन को अवगत कराया जायेगा। निर्माण कार्य को समयबद्धता से पूर्ण कराया जाए साथ ही गुणवत्ता का वशेष ध्यान रखा जाए।

(13) स्वीकृत की जा रही इस धनरा श का मा सक ववरण प्रपत्र-बी0एम0-13 में प्रतिमाह वत्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त स्वीकृत धनरा श को व्यय करने से पूर्व वत्त वभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2016 में दिए गये निर्देशों तथा वत्त वभाग द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में जारी कये गये अन्य निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कया जाएगा।

(14) प्रायोजनान्तर्गत बालू/मट्टी भराई हेतु जो धनरा श प्रा वधानित कया गया है। उसके संबंध में जिला धकारी द्वारा गठित तकनीकी स मति की संस्तुति नहीं है। इस मद में प्रा वधानित धनरा श यथावत अनुमन्य की गयी है, जिससे निर्माण कार्य में कोई कठिनाई न हो। उपरोक्त प्रस्ता वत धनरा श जिला धकारी द्वारा गठित तकनीकी स मति की संस्तुति के पश्चात देय होगी।

(15) उक्त व्यय के सम्बन्ध में शासन को उपयो गता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व परिवहन आयुक्त का होगा। उक्त धनरा श का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कया जाएगा।

(16) योजना में अनुमोदित लागत में ही एक वर्ष की समयाव ध में पूर्ण कराया जाय। उक्त धनरा श कार्यदायी संस्था को हस्तगत कराने के पश्चात यदि लागत में वृद् ध होती है तो उसे कार्यदायी संस्था अपने श्रोतो से वहन करेगी। शासन द्वारा उक्त बढ़ी हुई धनरा श उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वत्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्ष 7055-सड़क परिवहन के लए कर्ज 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-03- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को कर्ज-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा।

4- यह आदेश वत्त वभाग के अशा0संख्या-ई-9-398/दस-2016 दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी कए जा रहे है।

भवदीय,
ह०
(मुहम्म्द अख़लाक़ खॉ)
वशेष स चव।

संख्याः43/2016/851/(1)/सीस-1-2016 तददिनांक।

प्रति ल प निम्न ल खत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द् वतीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द् वतीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषा धकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वधायन एवं निर्माण सहकारी संघ ल० लखनऊ (पैकफेड) ।
6. वत्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ।
7. वत्त नियन्त्रक, उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
8. वत्त नियन्त्रक, उत्तर प्रदेश वधायन एवं निर्माण सहकारी संघ ल० लखनऊ (पैकफेड) ।
9. नियोजन अनुभाग-4 ।
10. वत्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
11. वत्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9/परिवहन अनुभाग-3।
12. निदेशक, वत्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन,लखनऊ।
13. गाई फाइल।

आज्ञा से,
ह०
(सन्त लाल)
अनु स चव।

http://shasanadesh.up.nic.in